(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवंबर, 2016

सां. आ. 3592 (अ.): आयकर अधिनियिम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा केंद्र सरकार उक्त समिति द्वारा अनुमोदित संघों और संस्थानों के संबंध में नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित परियोजनाओं/स्मीकों को विनिर्दिष्ट करती है।

<u>सारणी</u>

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता	परियोजना अथवा स्कीम	अधिसूचना सं. और तारीख तथा वैधता के साथ अनुमोदित लागत	धारा 35 क ग के अंतर्गत समिति की सिफारिश द्वारा अधिकतम लागत
1.	नवजीवन धर्मार्थ न्यास, 08, जौली भवन सं. 01, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020	श्री नवजीवन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर एवं वस्तु एवं वस्त्र वितरण	• क्रमांक सं. 20 पर दिनांक 12.01.2009 के सा. आ. 121(अ) द्वारा वर्ष 2010-11 तक तीन वित्तीय वर्षों हेतु 39.11 करोड़ रू. के लिए • दिनांक 27.04.2011 के सा. आ. 852(अ) द्वारा वर्ष 2013-14 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए तथा परियोजना की लागत को 68.65 करोड़ रू. संशोधित करने तथा न्यास का पता 602, शास्त्री हॉल, 292	68.65 करोड़ रू.

			जे. दादाजी रोड, मुंबई-400007 से बदल कर 115, जॉली भवन सं. 1, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020 संशोधित करते हुए • दिनांक 30.05.2011 के सा. आ. 1228(अ) द्वारा पता 08, जॉली भवन सं. 1, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020 संशोधित करते हुए	
2.	नवजीवन धर्मार्थ न्यास, 08, जौली भवन सं. 01, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020	अ केअरिंग हैंड	• क्रमांक सं. 14 पर दिनांक 11.08.2011 के सा. आ. सं. 1860(अ) द्वारा वर्ष 2013-14 तक तीन वित्तीय वर्षो हेतु 15.34 करोड़ रू. के लिए • दिनांक 27.12.2013 के सा. आ. 3829(अ) वर्ष 2016-17 तक तीन वित्तीय वर्षो के लिए और 24.49 करोड़ रू. की परियोजना लागत को संशोधित करते हुए।	24.49 करोड़ रू.
3.	नवजीवन धर्मार्थ न्यास, 08, जौली भवन सं. 01, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-	संकल्प	• क्रमांक सं. 09 पर दिनांक 07.10.2013 के सा. आ. 3033(अ)	27.97 करोड़ रू.

	400020		द्वारा वर्ष 2015-16 तक तीन वित्तीय वर्षों हेतु 27.97 करोड़ रू. के लिए	

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय आयकर विभाग द्वारा कराई गई पूछ-ताछ के आधार पर और धारा 35 क ग के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई जवाब ना मिलने पर आयकर अधिनियम,1961 की धारा 35 क ग की उपधारा (4) के तहत संतुष्ट हुई और उक्त धारा की उपधारा (5) के अंतर्गत सिफारिश की कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन को उस रूप में वापस लिया जाए जिसमें इसे ऊपर दी गई सारणी में उल्लिखित न्यास और परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग की उपधारा (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नवजीवन धर्मार्थ न्यास, 08, जौली भवन सं. 1, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020 को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेती है और उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित दिनांक 12.01.2009 की अधसूिचना सं. सा. आ. सं. 121(अ), जहां तक उसका संबंध "श्री नवजीवन, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, वस्तु एवं वस्त्र वितरण" की परियोजना अथवा स्कीम से है; और उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित दिनांक 11.08.2011 की अधसूिचना सं. सा. आ. सं. 1860(अ), जहां तक उसका संबंध "ए केआरिंग हैंड" की परियोजना अथवा स्कीम से है; और उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित दिनांक 07.10.2013 की अधसूिचना सं. सा. आ. सं. 3033(अ), जहां तक उसका संबंध "संकल्प" की परियोजना अथवा स्कीम से है, को वापिस लेती है और उक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है, वस्तुत:-

नवजीवन धर्मार्थ न्यास, 08, जौली भवन सं. 01, 10, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400020 द्वारा चलाई जा रही परियोजना अथवा स्कीम से संबंधित उक्त अधिसूचनाओं को वापस लिया हुआ माना जाएगा और इसलिए आयकर अधिनियम,1961 की धारा 35 क ग की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रमाण पत्र, यदि कोई है, को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय पर कर की संगणना करने के दौरान ध्यान में नहीं लाया जाएगा।

[सं. 67/2016/फ. सं. V. 27015/5/2016 एसओ (राष्ट्रीय समिति)]

(एस. आर. शर्मा)
निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the **30** November, 2016

S.O.3592(E).- Whereas by notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified projects/schemes for exemption, in respect of the associations and institutions approved by the said National Committee, mentioned in the Table below:

TABLE

Sl. No	Name & address of the Institution	Project or scheme	Notification No. and date and sanctioned cost with validity	Maximum amount of cost recommended by the Committee under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Navjeevan Charitable Trust, 08, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines, Mumbai – 400 020.	Shree Navjeevan. Vocational Training Programme, Medical camps and goods & cloth distribution	• S.O. No. 121(E) dated 12.1.2009 at Sl. No. 20 for a period of three financial years till 2010-11 for Rs. 39.11 crore • S.O. No. 852(E) dated 27.4.2011 for a period of three financial years till 2013-14 and amending the project cost to Rs 68.65 crore and amending the address of the Trust from 602, Shastri Hall, 292, J. Dadaji Road, Mumbai – 400007 to 115, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines, Mumbai – 400 020. • S.O. No. 1228(E) dated 30.5.2011 amending the address to 08, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines, Mumbai – 400 020.	Rs. 68.65 crore.

2	Navjeevan Charitable Trust, 08, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines, Mumbai – 400 020.	A caring hand	• S.O. No. 1860(E) dated 11.8.2011 at Sl. No. 14 for a period of three financial years till 2013-14 for Rs. 15.34 crore • S.O. No. 3829(E) dated 27.12.2013 for a period of three financial years till 2016-17 and amending the project cost to Rs 24.49 crore.	Rs. 24.49 crore
3	Navjeevan Charitable Trust, 08, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines, Mumbai – 400 020.	Sankalap	• S.O. No. 3033(E) dated 7.10.2013 at Sl. No. 9 for a period of three financial years till 2015-16 for Rs. 27.97 crore	Rs. 27.97 crore

And, whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, on the basis of an enquiry conducted by Income-tax Department and after having received no response despite adequate opportunity given to it to show cause against the proposed withdrawal of approval granted to it under section 35AC, was satisfied under sub-section (4) of section 35AC of the Income Tax Act, 1961 and recommended under sub section (5) of the said section for withdrawal of approval granted under section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in so far as it specifies the trust and the project or scheme as mentioned in the table herein above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) and (5) of section 35AC of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby withdraws the approval granted to Navjeevan Charitable Trust, 08, Jolly Bhavan No.1,10, New Marine lines, Mumbai – 400 020 and withdraws the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. No. 121(E) dated 12.1.2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 (ii) as mentioned in the table herein above, in so far as it relates to the projects or the scheme "Shree Navjeevan. Vocational Training Programme, Medical camps and goods & cloth distribution" and S.O. No. 1860(E) dated 11.8.2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 (ii) as mentioned in the table herein above, in so far as it relates to the projects or the scheme 'A caring hand' and S.O. No. 3033(E) dated 7.10.2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 (ii) as mentioned in the table herein above, in so far as it relates to the projects or the scheme 'Sankalap' in the aforesaid notifications and makes the following amendment in the said notifications, namely:-

The said notifications, relating to the project or the scheme being carried out by Navjeevan Charitable Trust, 08, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine lines,Mumbai – 400 020, shall be treated as withdrawn and therefore, the certificate furnished under clause (a) of sub-

section (2) of section 35AC of Income-tax Act, 1961, if any, shall not be taken into consideration while calculating the tax of the income under the Income-tax Act, 1961.

[No. 67/2016 / F.No.V.27015/5/2016-SO (NAT.COM)]

(S.R. Sharma)
Director (National Committee)